(SB)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 129–एक/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 139/99–2000/अपील.

दुर्गाप्रसाद पुत्र श्यामलाल
निवासी ठकुरीपुरा (पखरिया)
हाल निवासीकाशी नगर, रूठियाई
जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– मदन मोहन पुत्र श्याम लाल
2– रमेश पुत्र श्याम लाल
3– दिनेश पुत्र श्याम लाल
4– हरिनारायण पुत्र श्याम लाल
5– मगन बाई बेव श्याम लाल
6– नारायणी बाई पुत्री श्याम लाल
7– कमला बाई पुत्री श्याम लाल
8– राजूबाई पुत्री श्याम लाल
पत्नी हेमन्त कुमार
निवासीगण ठकुरीपुरा (पखरिया) गुना
9– रामगोपाल पुत्र भवर लाल
निवासी रानीखेड़ा
चाचौड़ा गुना .....अनावेदकगण

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पिता एवं अनावेदिका कमांक 5 के पति के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम

पखरिया स्थित खाता कमांक 243/204 9 कुल किता 13 कुल रकबा 28.678 हेक्टेयर पर भूमिस्वामी श्यामलाल की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर फौती नामांतरण हेतु संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, मधुसूदनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6/92–93 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 मदन मोहन पुत्र श्याम लाल अनावेदक कमांक 3 दिनेश पुत्र श्याम लाल एवं अनावेदिका कमांक 5 मगन बाई बेवा श्याम लाल द्वारा वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 21–2–97 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 3 का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ के समक्ष दिनांक 4–8–97 को 163 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–12–99 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–10–05 को आदेश पारित कर मृतक नर्बदीबाई के वारिसों को अभिलेख पर लाने की कार्यवाही 6 माह तक नहीं करने के कारण अपील समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा एक पक्षकार की मृत्यु होने से प्रकरण अवैट मानकर समाप्त किया गया है, जबकि प्रकरण में और भी पक्षकार थे, इसलिए उनके विरूद्ध प्रकरण न तो अवैट होता है और न ही उनके विरूद्ध सुनवाई में कोई बाधा थी, जिस पर अपर आयुक्त ने कोई विचार नहीं किया है । यह भी कहा गया कि खातेदार श्यामलाल की मृत्यु जेल में हुई थी और उसकी मृत्यु उपरान्त अनावेदक कमांक 1 व 3 द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर मृतक भूमिस्वामी के समस्त वारिसों को बगैर सूचना दिये तहसील न्यायालय से अपने पक्ष में नामांतरण करा लिया गया है, जो विधि विपरीत कार्यवाही है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में ही अनावेदक कमांक 9 की पत्नी नर्बदी बाई की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन

पत्र दिनांक 28–10–2017 को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अनुविभगीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किये बिना ही अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृत पक्षकार का एकमात्र वारिस उसका पति अनावेदक कमांक 9 बतलाया गया था, जिसका प्रश्नाधीन भूमि पर कोई विशेष अधिकार व हक नहीं था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को यह देखना चाहिए था कि अनावेदक कमांक 9 की स्थिति प्रकरण में क्या है तथा उसके न रहने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर प्रकरण अवैट मानकर समाप्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा मात्र एक पक्षकार नर्बदी बाई के वारिस को अभिलेख पर नहीं लेने के कारण अपील अबैट मान्य कर समाप्त की गई है, जबकि मृतक नर्बदी बाई के वारिस रामगोपाल को अपील मेमों के टायटिल में पहले ही पक्षकार बनाकर अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त को इस ओर ध्यान देकर, प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–05 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर